

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प0 7(2)राज/वाद/18 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक 14-6-2021

श्री सौरव शर्मा पुत्र श्री सत्य प्रकाश शर्मा,
सरस्वती विद्या विहार सी.सै. विद्यालय के सामने, वार्ड नं-23,
बांदीकुई, तहसील-बसवा, जिला-दौसा, राजस्थान पिन-303313
(रोल नं0 2358593, मेरिट नं0 4742)
(चयनित अभ्यर्थी)

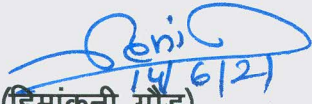
विषय:- कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कुल 703 अभ्यर्थियों में से चयनित 689 चयनित अभ्यर्थियों में से इस विभाग को आवंटित अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों के सत्यापन/काउंसलिंग (counselling) के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधि (राजकीय वादकरण) विभाग को प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कुल 703 अभ्यर्थियों में से चयनित 689 चयनित अभ्यर्थियों में से आपका मूल आवेदन पत्र इस विभाग को आवंटन/प्राप्त हुआ है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने समस्त वांछित मूल दस्तावेज (परिशिष्ट-अ के अनुसार सत्यापित प्रति) सहित दिनांक 21.06.2021 को प्रातः 11:00 बजे कमरा नं0 1001, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थित हों।

आपके द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाने तथा उनका परीक्षण किये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार नियुक्ति दिया जाना संभव होगा। आपको इस प्रयोजनार्थ कोई यात्रा व्यय अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्न:- परिशिष्ट-अ, ब, स और द
(संलग्नक विभागीय वेबसाइट www.law.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिये गये हैं।)


(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव

परिशिष्ट-अ

कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कुल 703 अभ्यर्थियों में से चयनित 689 चयनित अभ्यर्थियों में से इस विभाग को आवंटित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन हेतु चैक लिस्ट:-
अभ्यर्थी का नाम:-

पिता का नाम:-

रोल नम्बर:-

मेरिट नम्बर:-

क्र०स०	विवरण	सत्यापन की स्थिति	विवरण
01	अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी मूल अंकतालिका/प्रमाण पत्र		
02	जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सैकण्डरी परीक्षा अंकतालिका/प्रमाण पत्र		
03	कम्प्यूटर योग्यता का मूल प्रमाण पत्र।		
04	विवाहित/अविवाहित होने की स्थिति में(परिशिष्ट-ब) 1.विवाह प्रमाण पत्र 2.दिनांक 31.05.2002 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने का स्वघोषणा पत्र(परिशिष्ट-स) 3.जीवित संतानों के जन्म प्रमाण पत्र		
05	जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का पिता की आय के आधार पर नवीनतम जाति प्रमाण पत्र)		
06	मूल निवास प्रमाण पत्र		
07	पूर्व में राजकीय सेवा में होने पर:- 1. पूर्व विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र 2. आचरण संबंधी/विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने का प्रमाण पत्र।		
08	दिव्यांग होने की स्थिति में निशक्तता प्रमाण पत्र		
09	दहेज न लेने का प्रमाण पत्र(परिशिष्ट-द)		
10	विधवा/परित्यक्ता अभ्यर्थी के प्रकरण में पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र		
11	धूम्रपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्वघोषणा पत्र		
12	आधार कार्ड की फोटोप्रति एवं मूल		
13	अन्तिम शिक्षण संस्थान के संस्था प्रमुख द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र मूल		
14	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र(6 माह से पूर्व की तिथि का न हो)		
15	परित्यक्ता महिला की स्थिति में न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रति		
16	पति/पत्नि यदि राजकीय सेवा में है तो उसका विवरण		
17	कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक है अथवा नहीं(इच्छुक नहीं होने की स्थिति में कारण अंकित करें)		

परिशिष्ट—'ब'

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(विवाह शपथ-पत्र)

प्रपत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती निवासी..... शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी के साथ दिनांक को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं अविवाहित हूँ।

या

मैं विधुर/विधवा हूँ (पत्नी/पति श्री/श्रीमती)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री के साथ दिनांक को सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

परिशिष्ट-‘स’

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

**(संतान शपथ-पत्र)
घोषणा पत्र**

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मैंपुत्र/पुत्री श्री रोल नं. है,
लिपिक ग्रेड-II, भर्ती परीक्षा, 2018 में लिपिक ग्रेड-II के पद पर अभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

1. दिनांक 31.5.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या थी।

क्र.सं. नाम जन्म तिथि

2. दिनांक 01 जून, 2006 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक 1 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या है।

क्र.सं. नाम जन्म तिथि

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पद : लिपिक ग्रेड-II

परिशिष्ट-‘द’

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

विवाहित अम्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

घोषणा-पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....

निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-आ, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018 में लिपिक ग्रेड-आ के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक को हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न तो दहेज लिया है/न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता यथा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम-.....)

घोषण-कर्ता

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

साक्षी

ससुराल पक्ष पिता की ओर से

1. हस्ताक्षर 1. हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता.....

2. हस्ताक्षर 2 हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता

परिशिष्ट-‘द’

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें
अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-II, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018
में लिपिक ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घर वाले
ना तो दहेज लेंगे/ना ही देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं
ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी
नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं प्रार्थी
जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम-.....)
घोषण-कर्ता

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर 1. हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता.....